

>

Title: Motion for election of one Member of Lok Sabha to the Committee on Official Language.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से, प्रस्ताव करता हूँ:

“कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री राम स्वरूप शर्मा, जिनका 17 मार्च, 2021 को निधन हो गया था, के स्थान पर अपने में से एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री राम स्वरूप शर्मा, जिनका 17 मार्च, 2021 को निधन हो गया था, के स्थान पर अपने में से एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।